न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/1212/2004/चित्तोड़गढ़

1— दयाराम पुत्र डालूजी, जाति भील, निवासी चकतिया डूंगला, जिला चित्तोड़गढ़ ।

...अपीलान्ट

बनाम

1— भैरूलाल पुत्र चैना, जाति भील,
2— खेमा पुत्र चैना, जाति भील,
3— मु0 सुन्दर बाई पुत्री चैना, जाति भील,
4— मु0 धापूबाई बेवा चेना जाति भील,
समस्त निवासीगण चकतिया, तहसील डूंगला, जिला चित्तोड़गढ़ ।
5— रामा पुत्र किशना, जाति मीणा,निवासी ईडरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तोड़गढ़ ।
6— मु0 सवली बेवा डालू, जाति भील, निवासी चकतिया हाल गोपालपुरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तोड़गढ़ ।
7— राजस्थान सरकार ।

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलान्ट ।
रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही ।

————————

निर्णय

दिनांकः— 13.07.2023

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2003 जो की विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ ने अपील संख्या 234/2002 बउनवान दयाराम बनाम श्री चेना वगैरा में पारित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 88, 53, 188 के तहत वाद विरूद्ध

प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की खाता संख्या 23 की भूमि खसरा नंबर 60, 61, 63 क्षेत्रफल 10 बीघा 8 बिस्वा, मौजा नंगपुरा के खाता संख्या 14 की भूमि खसरा नंबर 109 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर बाहमी बंटवाड़े से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर पालियां बनी हुई है। विवादित भूमि चेना व डालू के खातेदारी की थी तथा दोनों ने करीब 15–20 वर्ष पूर्व आपसी विभाजन करके मौके पर अलग अलग अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। डालू ने अपने जीवनकाल में वादी को अपना गोदपुत्र बनाया तथा इसकी लिखापढ़ी भी वादी के पक्ष में कर दी है तथा सरकारी लगान भी अदा कर रहा है। डालू की मृत्यु करीबन 2 वर्ष पूर्व हो गई, डालू की बेवा सवली है जो केवल भरण पोषण की अधिकारिणी है तथा उसका आराजीयात पर कोई अधिकार नहीं है। भूमि डालू की मृत्यु के बाद वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परंतु राजस्व कर्मचारियों ने सवली के नाम गलत अंकन कर दिया इसका लाभ उठाकर सवली ने डालू का हिस्सा प्रतिवादी रामा को दिनांक 05.12.1992 को बेचान कर दिया जिसका कि उसे कानूनन हक नहीं हैं तथा प्रतिवादी मु0 सवली द्वारा किया गया बयनामा नल एण्ड वोईड होकर वादी के हितों पर शून्य प्रभाव से होने से कोई असर नहीं रखता है। अतः विवादित भूमि में से 1/2 हक वादी का घोषित कराया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करा विभाजन भी कराया जावें। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2002 खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादी/अपीलांट ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2003 द्वारा वादी/अपीलांट की अपील खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील माननीय मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद, वादी/अपीलांट के पिथ एवं सबसटैंश को एवं वादी द्वारा चाही गई दादरसी को ध्यान में रखें बिना व साक्ष्य से परे जाकर वाद व अपील को अस्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। अभिवचनों के आधार पर कुल 6 तनकीयात कायम की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के काउंटर क्लेम पर कोई तनकी कायम नहीं की

गई। तनकी संख्या 5 में यह कथन किया गया कि 'क्या वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं हैं' यह तनकी प्रतिवादीगण के जवाबदावे के आधार पर कायम की गई है। उपखण्ड अधिकारी ने यह तनकी अंशतः बहक प्रतिवादी निर्णित की है। प्रथम तो जिस प्रकार यह तनकी कायम की गई है उस प्रकार इस तनकी को निर्णित नहीं की गया और अंशतः प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई है तो उसका आशय यह माना जाएगा कि वादी का वाद पूर्णतया राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं था। वादी का वाद डालू के गोदपुत्र के आधार पर था और इससे संबंधित तनकी संख्या 2 कायम की गई थी, जब तनकी संख्या 2 निर्णित करने का अधिकार यदि राजस्व न्यायालय को नहीं था तो ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय को इस तनकी को निर्णीत किए जाने के लिए या तो धारा 239 के अनुसार सिविल न्यायालय को वाद प्रेषित कर देना चाहिए था या वाद वादी को लौटा देना चाहिए था। परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय केवल तनकी संख्या 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध होना मानकर किया जाना माना जाएगा। डालू विवादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार था। डालू एवं चेना दोनों ही उदा के पुत्र थे। उदा से भूमि दोनों भाईयों पर धारित हुई। डालू का स्वर्गवास होने पर वादी उनका उतराधिकारी व गोद पुत्र होने के नाते विवादग्रस्त भूमि का चैना के साथ 1/2 हिस्सा का खातेदार हो गया। मु0 सवली को अनुसूचित जनजाति में चली आ रही रीति रिवाज के अनुसार खातेदारी की भूमि पर कोई स्वत्व अधिकार हासिल नहीं होते है जिसके कारण मु0 सवली को विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 5 को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। विवादग्रस्त भूमि का विभाजन केवल वादी के पिता डालू व चेना के बीच में हुआ था। डालू का स्वर्गवास होने पर अपीलांट काबिज हो गया। रेस्पो0 संख्या 5 विवादग्रस्त भूमि पर काबिज नहीं होने से विक्रय पत्र दिनांक 05.12.1992 के तहत कब्जा नहीं मिलने से वादी/अपीलांट खरीददार रामा के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी था, इस तनकी को परीक्षण न्यायालय ने वादी के विरूद्ध निर्णित कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने अपना काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया था एवं अपीलांट ने भी इसका जवाबदावा प्रस्तुत किया, ऐसी स्थिति में काउंटर क्लेम पर आवश्यक तनकी बनाने के बाद उसको अपना निर्णय देना चाहिए था। रेस्पो0 संख्या 2 व 3 द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भी तनकी संख्या 3 अपीलांट के पक्ष में निर्णित नहीं कर कानूनी भूल की है। अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के अनुसार नहीं हैं, केवल कुछ गवाहान के बयानों का जिक्र करते हुए यहां तक कि अपीलांट द्वारा अपील में उठाए गए तर्कों पर कोई निर्णय नहीं देकर अपीलांट की अपील को खारिज किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सही विवेचन एवं विश्लेषण किए बगैर निर्णय व डिक्री पारित की जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2002 को निरस्त किया जावें एवं वाद वादी/अपीलांट विरूद्ध रेस्पों डिक्री किया जावें।

6— हमनें योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी के समक्ष खातेदार डालू का गोदपुत्र बताते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश कर विवादित आराजियात में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा है । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादपत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की नहीं है । भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दिया एवं मौके पर जो विभाजन था वह प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के मध्य था जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज काश्त है । डालू के मरने के बाद एकमात्र उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 3 है । वादी, प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 साथ प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर उपयोग कर रहा है । प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से से उसका कोई संबंध नहीं है । वादी प्रतिवादी संख्या 3 व डालू का गोदीपुत्र नहीं है इसलिये उसे विभाजन कराने का हक नहीं है। साथ ही काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि आराजीजियात का अमल दरामद प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर कर दिया गया किन्तु बाद में अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम निरस्त कर दिया, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 पुनः अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज करवानी का अधिकारी है । अतः विवादित आराजियात का विभाजन कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जावे । उक्त वाद एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने वाद में अनुतोष सहित कुल 6 तनकियात कायम की ।

8— विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 यह कायम की किः— **" क्या वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की होकर वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार वादी घोषणा एवं बंटवारा कराने का अधिकारी है ?—जिम्मे वादी—** इस तनकी पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय यह निष्कर्ष अंकित किया है किः— **"उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरांत हम इस**

निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात बरूए राजस्व रिकार्ड वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी में नहीं है तथा डालू का हिस्सा विरासत से प्रतिवादी संख्या 3 सवली के नाम दर्ज हुआ है जिसने अपना संपूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दिया है । वादी ने न्यायालय में कोई पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है एवं वादी के गोद लिये जाने के तथ्य को मृतक खातेदार डालू की बेवा सवली ने स्वीकार नहीं किया है । जब तक वादी अपने गोदी पुत्र होन की घोषणात्मक डिक्री सक्षम न्यायालय में से प्राप्त नही कर लेता तब तक उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । ———वादी द्वारा मृतक खातेदार डालू का पंजीकृत गोद नामा प्रस्तुत नही करने से वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात का वादी सह खातेदार एवं सुयक्त हिस्सेदार दज नहीं पाये जाने से वादी 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराये जाने का अधिकारी नहीं पाये जाने से बंटवारे का भी अधिकारी नही है । फलस्वरूप तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है ।''

8— तनकी संख्या 2 तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष पर आधारित होने से तनकी संख्या 2 का निर्णय भी वादी के विरूद्ध किया गया है । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी मृतक खातेदार डालू का गोदपुत्र नहीं होने के आधार पर वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज 2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि—

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

9— उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारीज की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.8.2002 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष